

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय / 2021-19675

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षर

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग एवं विधि रचना सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	चिराग लिम्बात	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर, सलूमबर	1. संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) द्वारा आयोजित असिस्टेंट लीगल एडवाइजर-2026 में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु। 2. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु।
2.	नरेंद्र सिंह	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, जालोर	1. संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) द्वारा आयोजित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(CBI) सहायक लोक अभियोजक(APP)-2026 में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु। 2. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु।
3.	अमित कुमार मीणा	विधि रचनाकार विधि रचना (प्रकोष्ठ-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एस.ई.टी.(SET) परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु।
4.	गजेन्द्र सिंह सोलंकी	विधि रचनाकार विधि रचना (प्रकोष्ठ-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	1. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु।

क्र. सं.	नाम	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
			2. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी परीक्षा-2026

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(आशीष कुमार कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(ACP),विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव